रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062023-246400 CG-DL-E-08062023-246400

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] No. 341] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 18, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JYAISHTHA 18, 1945

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

**सा.का.नि. 415(अ).**—सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -

- 1. (1) इन नियमों को सरोगेसी (विनियम) संशोधन नियमावली 2023 कहा जाएगा।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. सरोगेसी (विनियमन) नियमावली, 2022 के नियम 2 में खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थातु:-

(क क) "भारतीय मूल के जोड़े से वह दंपति अभिप्रेत है जहां पति (पुरुष) और पत्नी (महिला) दोनों ही सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार विभिन्न मानदंडों को पूरा करने के अधीन गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा समय-समय पर पालन किए जा रहे अनुदेशों/ नियमों/ दिशानिर्देशों/ अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक हैं "।

[फा. सं. यू.11019/15/2022-एचआर]

अनु नागर, संयुक्त सचिव

3638 GI/2023 (1)

टिप्पण: सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 21 जून 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 460 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 772 (अ) और सा.का.िन. 179 (अ), दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Department of Health Research)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2023

**G.S.R. 415(E).**—In exercise of the power conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, in rule 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -
  - (aa) "Couple of Indian Origin means the couple where both husband (male) and wife (female) are Overseas Citizens of India cardholders in accordance with the Acts/Rules/Instructions/Guidelines being followed by the Ministry of Home Affairs from time to time subject to fulfillment of various criteria as per the Surrogacy (Regulation) Act, 2021".

[F. No. U.11019/15/2022-HR]

ANU NAGAR, Jt. Secy.

**Note:** The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 460 (E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2022 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 772 (E), dated the 10<sup>th</sup> October, 2022 and *vide* notification number G.S.R. 179(E), dated 14.03.2023.